रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10102020-222363
CG-DL-E-10102020-222363

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 512] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 9, 2020/ आश्विन 17, 1942
No. 512] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2020/ ASVINA 17, 1942

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

(पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय)

अधिसूचना

शिलांग, 23 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 626(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग अवर श्रेणी लिपिक (वर्ग 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013, का अधिक्रमण करते हुए परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थागित बातों को छोड़कर राष्ट्रपति एतद्द्वारा उत्तर–पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग में कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**– (1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, कनिष्ठ सचिवालय सहायक (वर्ग 'ग') पद भर्ती नियम, 2020 कहा जाएगा।

   (2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे. मैट्रिक्स लेवल**– पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित पे. मैट्रिक्स लेवल, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

3. **भर्ती प्रणाली, आयु–सीमा, अर्हता आदि**– उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु–सीमा,अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्तोक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) मे विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

4. निरर्हता,– जिसने–

   (क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों, या

   (ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुऐ किसी से विवाह किया हो,

वह उक्त पद पर नियुक्ती का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती हैं।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**– जहां केन्द्र सरकार के मत के अनूसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृत्ति.**– इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु–सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतनमान**	**प्रवरण पद अथवा गैर–प्रवरण पद**	**सीधी भर्ती के लिए आयु–सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ सचिवालय सहायक	22* (2020) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अन्तर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन लेवल–2 वेतनमान रू. 19900–63200	लागू नहीं	लागू नहीं
क्या सीधी भर्ती से आने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु एवं अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो	**भर्ती प्रणालीः** सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों का प्रतिशत।	यदि भर्ती प्रोन्नति या आमेलन द्वारा की जाती है तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ती या आमेलन किया जाएगा।	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	जिन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं			
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	**आयु के लिएः** नहीं शैक्षिक योग्यता के लिएः: हां प्रोन्नतों के लिए स्तंभ 11 में दी गई उपदर्शिता सीमा तक।	लागू नहीं	(i) 70 % प्रोन्नति द्वारा (ii) 30% विभागीय दक्षता परीक्षा द्वारा

यदि भर्ती प्रोन्नति या आमेलन द्वारा की जाती है तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ती या आमेलन किया जाएगा।	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	जिन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
(i) बहु–कार्य कर्मचारी के समूह 'ग' फीडर पद में वरिष्ठता सह–फिटनेस के आधार पर पदनोननति द्वारा 70% जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर – 1 (18000–56900) के पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वी कक्षा एवं उसके समकक्ष योग्यता हो। (ii) बहु–कार्य–कर्मचारी समूह 'ग' फीडर पद में अधिकारियों के बीच	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगेः** 1. निदेशक या उपसचिव (प्रशासन), पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग – अध्यक्ष 2. अजा./अजजा. उप.सचिव या उच्चस्तरीय अधिकारी, भारतीय भूतत्वेत्ता अधिकारी – सदस्य 3. सहायक सचिव, पूर्वोत्तर सचिवालय शिलांग – सदस्य	लागू नहीं

विभागीय योग्यता परीक्षा के माध्यम से 30% लेवल–1 (18000–56900) और जिनके पास 12वीं कक्षा या समकक्ष योग्यता हो तथा विभाग मे कम से कम तीन वर्ष तक सेवा प्रदान की हो परीक्षा के पात्र होंगे। परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु–सीमा 45 वर्ष है। (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 50 वर्ष आयु) **टिप्पणी**: यदि क्लॉज (ii) के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में कर्मचारी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, कर्मचारियों की ऐसी अधिशेष संख्या बाद के वर्षों में आने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार की जायेगी ताकि पहले ही परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों पर बाद की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जाएगा।		

[फा. सं. एडीएमएन–20016(14)/1/2017)–एडीएमएन]
एल. बेमोफा, उप. सचिव (प्रशासन)

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(NORTH EASTERN COUNCIL SECRETARIAT)

NOTIFICATION

Shillong, the 23rd September, 2020

G.S.R. 626 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession to the North Eastern Council Secretariat, Shillong (Group ‘C’ Post) Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Secretariat Assistant in the Ministry of Development of North Eastern Region, North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely :-

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Junior Secretariat Assistant (Group ‘C’ Post) Recruitment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix** - The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age - limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age - limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification** - No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

   Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. **Savings** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age - limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.	Age limit for direct recruits.
1.	2	3	4	5	6
Junior Secretariat Assistant.	22* (2020) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level 2 (Rs. 19900 – 63200/-).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
7	8	9	10
Not applicable.	Age : No. Educational qualifications : Yes, to the extent mentioned under Column 11 for promotees.	Not applicable.	(i) 70% by promotion. (ii) 30% through Departmental Qualifying Examination.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
(i) 70% by promotion on seniority-cum-fitness basis from amongst officials in the Group 'C' feeder post of Multi-Tasking Staff, who have rendered three years of regular service in the post in the pay matrix, level – 1 (Rs. 18000-56900) and possessing 12th Class or equivalent qualification from a recognized Board or University.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :** 1 Director or Deputy Secretary (Administration), North Eastern Council Secretariat, Shillong. : Chairman; 2 SC/ST officer of the level of Under Secretary or above, Geological Survey of India, Shillong : Member;	Not applicable.

(ii) 30% through Departmental Qualifying Examination from amongst officials in the Group 'C' feeder post of Multi-Tasking Staff in the pay matrix, level – 1 (Rs. 18000-56900) and who possess 12th Class or equivalent qualification and have rendered three years' of regular service in the grade. The maximum age - limit for eligibility for examination is forty five years. (Fifty years of age for Scheduled Castes/Scheduled Tribes). Note:- If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.	3 Assistant Secretary, North Eastern Council Secretariat, Shillong. : Member.	

[F. No. ADMN-20016(14)/1/2017-ADMN]
L. BEIMOPHA, Dy. Secy. (Admn.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.10.10 16:04:41 +05'30'